भारतीय जनता पार्टी

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी
तथा
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
द्वारा
सम्बोधित प्रेस सम्मेलन में जारी वक्तव्य

नई दिल्ली : 3 सितम्बर, 2008

कांग्रेस पार्टी द्वारा आतंकवादियों को राजनीतिक सरंक्षण दिए जाने से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई है

भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का ध्यान बढ़ते हुए आतंकवादी खतरे की ओर आकृष्ट करना चाहती है जिसमें कांग्रेस और उसके गठबन्धन वाले दलों द्वारा परोक्ष तथा अपरोक्ष संरक्षण दिए जाने से और बढ़ोतरी हुई है। इस अत्यंत जोखिमभरी राष्ट्रीय निष्क्रियता ने आतंकवाद के खिलाफ आम–सहमति बनाने में अड़चन डालने का काम किया है और इसके विरूद्ध लड़ाई लड़ने में राष्ट्रीय इच्छा–शक्ति में भी कमी आई है।

गुजरात और राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक की गई जांच–पड़तालों से यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि अहमदाबाद और जयपुर में हाल में हुए बम विस्फोटों में *सिमी* (SIMI) का हाथ था। देश के विभिन्न अन्य शहरों में हुए बम–विस्फोटों में *सिमी* का हाथ होने के पक्के संकेत हैं। जांच–पड़तालों से *सिमी* (SIMI) के असली उद्देश्यों का पता चल गया है। यह संगठन, जैसाकि इसके कारनामों से समय–समय पर पुष्टि हुई है, पंथनिरपेक्षता, उदारतावाद और लोकतंत्र के हमारे आदर्शों को चुनौती देकर मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। जांच–पड़तालों से यह भी मालूम हुआ है कि उच्च शिक्षा–प्राप्त युवाओं द्वारा बड़ी चालाकी से योजना बनाकर और उन्नत किस्म के विस्फोटक यंत्रों का इस्तेमाल करके किस तरह से आतंकवादी हमले करने की विस्तृत योजनाओं को अंजाम दिया गया था।

भारतीय जनता पार्टी ने बार–बार कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद के प्रति नरम रूख अपना रही है। इसने पोटा (POTA) कानून को निरस्त कर दिया है जिसने प्रशासन को आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कुछ शक्तियां दे रखी थीं। भारत सरकार ने गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश के विधानमंडलों द्वारा संगठित अपराध के खिलाफ विधिवत् पारित कानूनों पर राष्ट्रपति की सहमति रोक रखी है। कांग्रेसनीत यू.पी.ए. सरकार ने अफ़जल गुरू की मौत की सजा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रोककर यह संदेश दिया है कि भारतीय संसद पर किए गए संगठित तथा सुनियोजित हमले के सम्बन्ध में भी इसकी कोई गहरी चिन्ता नहीं है।

कांग्रेसनीत सरकार ने गैर–कानूनी गतिविधियां प्रतिबंध अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष पूरे साक्ष्य प्रस्तुत न करके *सिमी* (SIMI) पर लगी रोक को हटाने में मदद की है और फिर इसने स्थिति को सुधारने में शीर्ष न्यायालय के हस्तक्षेप का सहारा लिया है। राष्ट्र यह प्रश्न पूछ रहा है कि सिमी पर लगे प्रतिबंध का पहले तीन मौकों पर ट्रिब्यूनल द्वारा समर्थन क्यों किया गया और यू.पी.ए. शासन के अधीन इस चौथे मौके पर ट्रिब्यूनल द्वारा सिमी *(SIMI)* के खिलाफ साक्ष्य को अपर्याप्त क्यों माना गया? क्या सरकार के उच्च स्तरों पर नरम रवैया अपनाये जाने के फलस्वरूप तो ऐसा नहीं हुआ था?

वास्तव में यह बड़े ही दुख की बात है कि कांग्रेस और उस जैसी पार्टियों के नेता अहमदाबाद बम–विस्फोटों के अपराधी जिसे आजमगढ़ के एक गांव से पकड़ा गया था, के प्रति सहानुभूति और सद्भावना

व्यक्त करने के लिए उसके गांव तक जा पहुंचे। उनका आचरण *सिमी* (SIMI) तथा इसी तरह के अन्य संगठनों के प्रति सहानुभूति जताने के बराबर है जो समय–समय पर उनके नेतृत्व के उच्च स्तरों पर प्रकट हुआ है।

सिमी (SIMI) के खिलाफ इकट्ठा होते हुए सबूतों विशेषकर साबरमती एक्सप्रेस और उत्तर प्रदेश में हुए सिलसिलेवार बम–विस्फोटों को देखते हुए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) तुरन्त सक्रिय हुआ और उसने सितम्बर, 2001 में सिमी (SIMI) को गैर–कानूनी घोषित कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादी संगठन के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई का समर्थन जोकि राष्ट्रीय हित में जरूरी था, करने की बजाए अगले ही दिन *सिमी* (SIMI) पर लगाये गए प्रतिबंध की निन्दा की। छह महीने बाद, जब आतंकवाद विरोधी कानून, **पोटा** (POTA) को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाया गया तो श्रीमती सोनिया गांधी ने आतंकवाद–विरोधी कानून का जमकर विरोध किया।

यू.पी.ए. सरकार ने सत्ता में आने के बाद **पोटा** (POTA) को निरस्त कर दिया और इसके बाद *सिमी* (SIMI) पर लगे प्रतिबंध को 27.9.2005 को समाप्त करने की अनुमति दे दी। ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया गया कि *सिमी* (SIMI) 10.7.2005 को अयोध्या में राम मंदिर पर और बाद में 29.10.2005 को दिल्ली में हुए हमलों में शामिल था। *सिमी* (SIMI) जो कमजोर और अलग–थलग पड़ चुकी थी, पर प्रतिबंध लगाने में हुई देरी से इसे पुनः पनपने और संगठित होने में मदद मिली। जब सिमी ने फिर से जबरदस्त आक्रमण करने शुरू कर दिए तो यू.पी.ए. सरकार को इस पर फरवरी, 2006 में फिर से प्रतिबंध लगाना पड़ा और शर्मिन्दगी उठानी पड़ी। उस समय तक अपूरणीय क्षति हो चुकी थी और यह आतंकवादी संगठन फिर से सक्रिय हो गया।

इस संगठन ने 7.3.2006 को वाराणसी में हनुमान मंदिर पर हमला किया जिसमें 21 लोगों की मौतें हुईं और उसके बाद 11.7.2006 को मुबंई उपनगरीय रेलों में बड़े पैमाने पर हमले किए गये जिनमें लगभग 200 लोगों की जानें चली गईं तथा सैंकड़ों लोग घायल हुए। अगले ही महीने अगस्त में, *सिमी* (SIMI) ने मालेगांव में एक मस्जिद पर हमला किया और 37 लोग मार दिए। इसी बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जुलाई, 2006 को इस दलील को रद्द करते हुए कि यह किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं, *सिमी* (SIMI) पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा।

आतंकवादी संगठन *सिमी* (SIMI) को राजनीतिक समर्थन दिए जाने से विशेषकर मुसलमानों के एक वर्ग को गरिमा और वैद्यता मिली है। आतंकवादी खासकर यही चाहते हैं ताकि राष्ट्र और कानून को कमजोर और पंगु बनाया जा सके। कांग्रेस पार्टी और वास्तव में, राजनीतिक क्षेत्र की सभी पार्टियों का समर्थन आतंकवाद और धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ आवाजों के लिए होना चाहिए न कि *सिमी* (SIMI) जैसे संगठनों के लिए जो हमारे देश के ताने–बाने को छिन्न–भिन्न करना चाहते हैं। कांग्रेस के राजनीति से प्रेरित दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में उन मुसलमानों को अत्यधिक निराशा हुई है जो राष्ट्रवाद से प्रतिबद्ध हैं।

मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों द्वारा *सिमी* (SIMI) का सार्वजनिक तौर पर समर्थन और बचाव करना बहुत ही गैर–जिम्मेदारीपूर्ण काम है। यह भी निंदनीय है कि यू.पी.ए. सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की उस अत्यन्त कठोर टिप्पणी की तिरस्कारपूर्वक अवहेलना करते हुए बंगलादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता देने की मांग की है जिसमें ऐसी घुसपैठ को राष्ट्र के विरूद्ध 'बाह्य आक्रमण' की संज्ञा दी गई है।

आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में सफल होने के लिए राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक सशक्त राष्ट्रीय आम–सहमति बनाने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यही बात थी जिसे कांग्रेस और उसके गठबन्धन वाली पार्टियां समझ नहीं पाई और *सिमी* (SIMI) को आसानी से वह मौका मिल गया जिसकी उसे संगठित होने और अपना कार्य–संचालन करने की जरूरत थी।

कांग्रेसनीत यू.पी.ए. गठबन्धन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को पहुंचाई गई अपूरणीय क्षति को संक्षेप में नीचे बताया गया है :

- कांग्रेस द्वारा *सिमी* (SIMI) को दिए गये राजनीतिक संरक्षण से राष्ट्र में इसके सही स्वरूप के बारे में भ्रम पैदा हो गया है और इस पार्टी ने आतंकवादी संगठन को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने और पैर जमाने में मदद की है।

- प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को यह प्रमाण–पत्र दिए जाने कि पाकिस्तान भी भारत की तरह ही आतंकवाद से त्रस्त है, से वह असली तथ्य पीछे चला गया है कि वही देश आतंकवाद का मूलस्रोत है और इससे पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन न देने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में कमी आई है।

- पोटा जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों पर नकारात्मक रवैया अपनाकर यू.पी.ए.सरकार ने आतंकवाद से लड़ने में सुरक्षा एजेंसियों के लिए कड़ी बाधा खड़ी कर दी है।

- यद्यपि कांग्रेसशासित महाराष्ट्र राज्य में संगठित अपराध के विरूद्ध एक सख्त कानून विद्यमान है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए इसी तरह के कानूनों पर राष्ट्रपति जी की स्वीकृति दिलाने से इंकार कर दिया है। वास्तव में, गृह राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने एक सितम्बर 2008 को ही लखनऊ में कहा है ''हम उत्तरप्रदेश में इसी तरह के कानून को अस्वीकार कर देंगे जिस प्रकार हमने गुजरात में इसे अस्वीकार किया है।''

- कांग्रेस पार्टी ने अपने उपर्युक्त कार्यों से आतंकवाद के मुद्दे पर राष्ट्रीय आम–सहमति बनाने की संभावनाओं को कमजोर कर दिया है।

- कांग्रेस ने फिर से वोट बैंक हासिल करने की चिन्ता में अपनी छद्म–सेक्युलर राजनीति के चलते आतंकवाद जैसे मुद्दे को गौण बना दिया है।

भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार से तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करती है। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि कांगेस सरकार :

(क) यह स्वीकार करे कि *सिमी* (SIMI)और इस तरह के दूसरे संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और सरकार उन पर अंकुश लगाने तथा उनका विरोध करने में विफल रही है। सरकार को निर्दोष लोगों की सुरक्षा करने में अपनी विफलता और अयोग्यता के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।

(ख) आतंकवादी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए पोटा (POTA) तथा अन्य कानून फिर से बनाए।

(ग) अफजल गुरू की फांसी की सजा पर अविलम्ब निर्णय ले।

(घ) *सिमी* (SIMI) और अन्य नामों से चल रहे आतंकवादी संगठनों (जैसे इंडियन मुज़ाहिदीन) की राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों से सम्बंधित सभी तथ्य न्यायालयों के समक्ष रखे ताकि उन पर प्रतिबंध बरकरार रहे और इसे पूरे संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ लागू किया जा सके।

(ङ) आतंकवादियों को पैसा और हथियार मुहैया कराने वाले सभी स्रोतों को रोकने, देश के विभिन्न भागों में चल रहे आतंकवादियों के प्रशिक्षण कैम्पों को बन्द कराने, अवैध घुसपैठ को रोकने हेतु देश की सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरतने और विध्वसंक संगठनों के अग्रणी संगठनों तथा खुलेआम समर्थकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए।

*****